भीम
BHIM
भारत इंटरफेस फॉर मनी

राजस्थान सरकार

G20

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना

सरकार बनाम विजय कुमार

किस्मः— एफएसएसए एक्ट; नमूना कोडः— जी—2179 मुकदमा नम्बरः— 65 / 2023

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा (2)(।।)
एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांकः—26.09.2023

संक्षेप में प्रस्तु प्रार्थना—पत्र इस प्रकार है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री विजय कुमार पुत्र श्री नानूराम सैनी एफ.बी.ओ. मैसर्स :— सिद्धार्थ रेस्टोरेन्ट एण्ड बेकर्स फास्ट फूड जयपुर रोड़ उयदपुरवाटी जिला झुंझुनूं हाल जिला नीम का थाना उपस्थित हुये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.05.2023 को समय 06:00 पी.एम. पर मैसर्स सिद्धार्थ रेस्टोरेन्ट एण्ड बेकर्स फास्ट फूड जयपुर रोड़ उयदपुरवाटी जिला झुंझुनूं हाल जिला नीम का थाना का निरीक्षण किया। वहां पर विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम विजय कुमार पुत्र श्री नानूराम सैनी व उक्त फर्म का मालिक होना बताया। उक्त फर्म का खाद्य पदार्थ लाईसेंस दिखाने के लिए कहां, तो अप्रार्थी ने खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया।

फर्म सिद्धार्थ रेस्टोरेन्ट एण्ड बेकर्स फास्ट फूड जयपुर रोड़ उयदपुरवाटी जिला झुंझुनूं हाल नीम का थाना पर विक्रय किये जा रहे खाद्य पदार्थ कलाकंद (मावा मिठाई) में मिलावट का संदेह होने पर फर्म पर उपलब्ध करीबन 10 किग्रा कलाकंद (मावा मिठाई) स्टोक में से वास्ते नमूना जाँच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच 02 किग्रा कलाकंद (मावा मिठाई) जाँच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 900 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अमानक** पाया गया। अप्रार्थी ने कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्मना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा नम्बर **जी—2179** खाद्य पदार्थ कलाकंद (मावा मिठाई) का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **अमानक** पाया गया। अमानक खाद्य पदार्थ कलाकंद (मावा मिठाई) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:09:33 IST
Reason: SelfAttested

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 21,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

आदेश आज दिनांक 26.09.2023 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:09:33 IST
Reason: SelfAttested